न्यायालय, अनुमण्डल दण्डाधिकारी, डुमरी (गिरिडीह)

आदेश पत्रक ता. 07.08.2025

जिला - गिरिडीह केस नं. .....63/2025 (भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत)

अनरबा देवी -बनाम- मसोमात बिजली देवी वगैरह

(भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 उपधारा 4)

आदेश का क्रमांक एवं दिनांक	आदेश एवं पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई एवं दिनांक
1	2	3
(9). 07.08.2025	आवेदक, प्रथम पक्ष के विज्ञ अधिवक्ता के द्वारा अधोहस्ताक्षरी न्यायालय में भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत समर्पित आवेदन के आलोक में वादगत भूमि की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित करने हेतु अंचल अधिकारी, डुमरी तथा थाना प्रभारी, डुमरी को निदेशित किया गया। अंचल अधिकारी, डुमरी के कार्यालय पत्रांक 435 दिनांक 02.06.2025 के द्वारा आवेदित भूमि के संबंध में स्थलीय एवं राजस्व दस्तावेजों की जाँच कर प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें वादगत भूमि पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई हेतु अनुशंसा किया गया। अंचल अधिकारी, डुमरी द्वारा प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वादगत भूमि जिसकी विवरणी नीचे अंकित है, पर भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(1) के तहत प्रतिबंधित करते हुए वाद को पंजीकृत कर उभय पक्षकारों को नोटिस निर्गत किया गया। **— वादगत भूमि की विवरणी —** **मौजा : गानोडीह, थाना नं० 95, खाता नं० 1, प्लॉट नं० 33, रकवा: 54डी० के मध्ये 12डी०** अंचल अधिकारी, डुमरी के द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख किया गया है कि आवेदित भूमि मौजा: गानोडीह, थाना नं० 95, खाता नं० 1, प्लॉट नं० 32, रकवा: 54डी० के मध्ये 12डी० भूमि गैरमजरूआ खास खाते की है। जो द्वितीय पक्ष मो० बिजली देवी पति स्व० खगेन्द्र सिंह के द्वारा प्रथम पक्ष अनरबा देवी, पति: अशोक सिंह को केवाला संख्या 1336 दिनांक 17.02.2014 को बिक्री कर दिया गया है। प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला में छेड़–छाड़ करके खाता सं० 1, प्लॉट सं० 32, रकवा: 12डी० जमीन का रसीद निर्गत कर लिया गया है। द्वितीय पक्ष का कहना है कि प्रथम पक्ष के द्वारा केवाला में छेड़–छाड़ कर उनके भूमि को हड़पना चाहते हैं। उभय पक्षों के बीच विवादित भूमि को लेकर व्याप्त तनाव के कारण भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163 के तहत कार्रवाई करने का अनुशंसा किया गया है। इस वाद में निर्गत नोटिस के अनुपालन में उभय पक्ष न्यायालय में उपस्थित हुए परन्तु उभय पक्षकारों के द्वारा अपने–अपने दावे के संबंध में कारणपृच्छा और दस्तावेजों की छाया प्रति समर्पित नहीं किया गया। **—— विचारण एवं आदेश ——** इस वाद में सुनवाई के दौरान उपस्थित उभय पक्षकार तथा उनके विज्ञ अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत दलीलों को सुनने के उपरान्त तथा अंचल अधिकारी डुमरी के द्वारा समर्पित जाँच प्रतिवेदन का अवलोकन करने से अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वादगत भूमि के संबंध में उभय पक्षकारों के बीच यह मामला दस्तावेजों की छेड़–छाड़ करने से संबंधित है, जो कि अपराधिक मुकदमा की श्रेणी में आता है। जिसका निष्पादन करना अधोहस्ताक्षरी न्यायालय के क्षेत्राधिकार में नहीं है। अतः उपर्युक्त विवेचना के आधार पर तथा भा०ना०सु०सं० 2023 की धारा 163(4) के तहत इस वाद में सुनवाई हेतु आज अंतिम तिथि होने के कारण इस वाद की सुनवाई समाप्त करते हुए अभिलेख की कार्यवाही बंद की जाती है। वाद निष्पादित। लेखापित एवं संशोधित 07/08/2025 कार्यपालक दण्डाधिकारी, डुमरी। 07/08/2025 कार्यपालक दण्डाधिकारी, डुमरी।	

Digitally signed by Ashutosh Thakur
Date: 2025.08.21 13:06:11 +05:30
Location: 192.168.0.107